प्रेषक,

ओम प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2018

विषय:- श्री वासुमित्र अरोडा, भा0व0से0 (से0नि0) के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-आई0एफ0एस0यू0-1115 में जमा धनराशि के अंतिम निष्कासन के संबंध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:-ई0शा0 562/1-877, दिनांक 28.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री वासुमित्र अरोडा, भा0व0से0 मुख्य परियोजना निदेशक, जे0आई0सी0ए0 परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्णकर दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है। श्री अरोडा, भा0व0से0 की सेवानिवृत्ति की तिथि 31-12-2017 को उनके सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि को ब्याज सहित भुगतान के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 28.11.2017 एवं उसके साथ संलग्न श्री वासुमित्र अरोडा के सामान्य भविष्य निधि खाता आई0एफ0एस0यू0-1115 में ब्याज सहित जमा धनराशि रू0 41,92,992.00 (इकतालीस लाख बानब्बे हजार नौ सौ बानब्बे) मात्र है।

3- श्री वासुमित्र अरोडा, भा0व0से0 के सामान्य भविष्य निधि खाता से अंतिम निष्कासन स्वीकृत करते हुए निर्धारित प्रपत्र प्रारूप-15 नियम-31(1) में आवेदन पत्र, ब्याज आगणन शीट, सेवा विवरण, अस्थायी/स्थायी अग्रिमों का विवरण 02 प्रतियों में तथा पासबुक मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि श्री वासुमित्र अरोडा के खाते में सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2017 के समय जमा धनराशि के ब्याज सहित भुगतान किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि (जी0पी0एफ0 पासबुक 01 खण्ड में मूल रूप में तथा 69 पृष्ठ)

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2018/3529(1)/14-1-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री वासुमित्र अरोडा, भा0व0से0 (से0नि0) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

2- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in